दिनांक 16.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा रेलवे यात्रियों की सुरक्षा एवं जन–जागरूकता हेतु राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा तैयार किये गये पोस्टर एवं बैनर का किया गया अनावरण

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा एवं जन–जागरूकता के उद्देश्य से राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा तैयार किए गए स्टीकर, पोस्टर एवं बैनर का अनावरण द्वारा किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज उत्तर प्रदेश **श्री प्रकाश डी.** तथा पुलिस महानिरीक्षक, रेलवेज **श्री मोदक राजेश डी. राव** उपस्थित रहे।

जनजागरूकता सामग्री का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी, सतर्कता के उपाय तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद प्राप्त करने हेतु यूपी–112 हेल्पलाइन एवं राजकीय रेलवे पुलिस की उपयोगिता से अवगत कराना है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा तैयार किए गए स्टीकर, पोस्टर एवं बैनर रेलवे परिसर, स्टेशनों तथा यात्री डिब्बों में लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों तक सुरक्षा संबंधी संदेश पहुँच सके। इन संदेशों में विशेष रूप से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, संदिग्ध वस्तु अथवा व्यक्ति दिखने पर तुरंत सूचना देने एवं राजकीय रेलवे पुलिस से सहायता प्राप्त करने की अपील की गई है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि:–
"यात्रियों की सुरक्षा केवल पुलिस की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जीआरपी एवं यूपी–112 चौबीसों घंटे यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।"

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज ने कहा कि यह अभियान यात्रियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा तथा अपराध नियंत्रण एवं दुर्घटना की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होगा।

राजकीय रेलवे पुलिस का यह प्रयास रेलवे यात्रियों को एक सुरक्षित एवं सहज वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह अभियान जनजागरूकता के प्रथम चरण के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसकी सफलता के उपरांत जीआरपी द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जाएंगे।

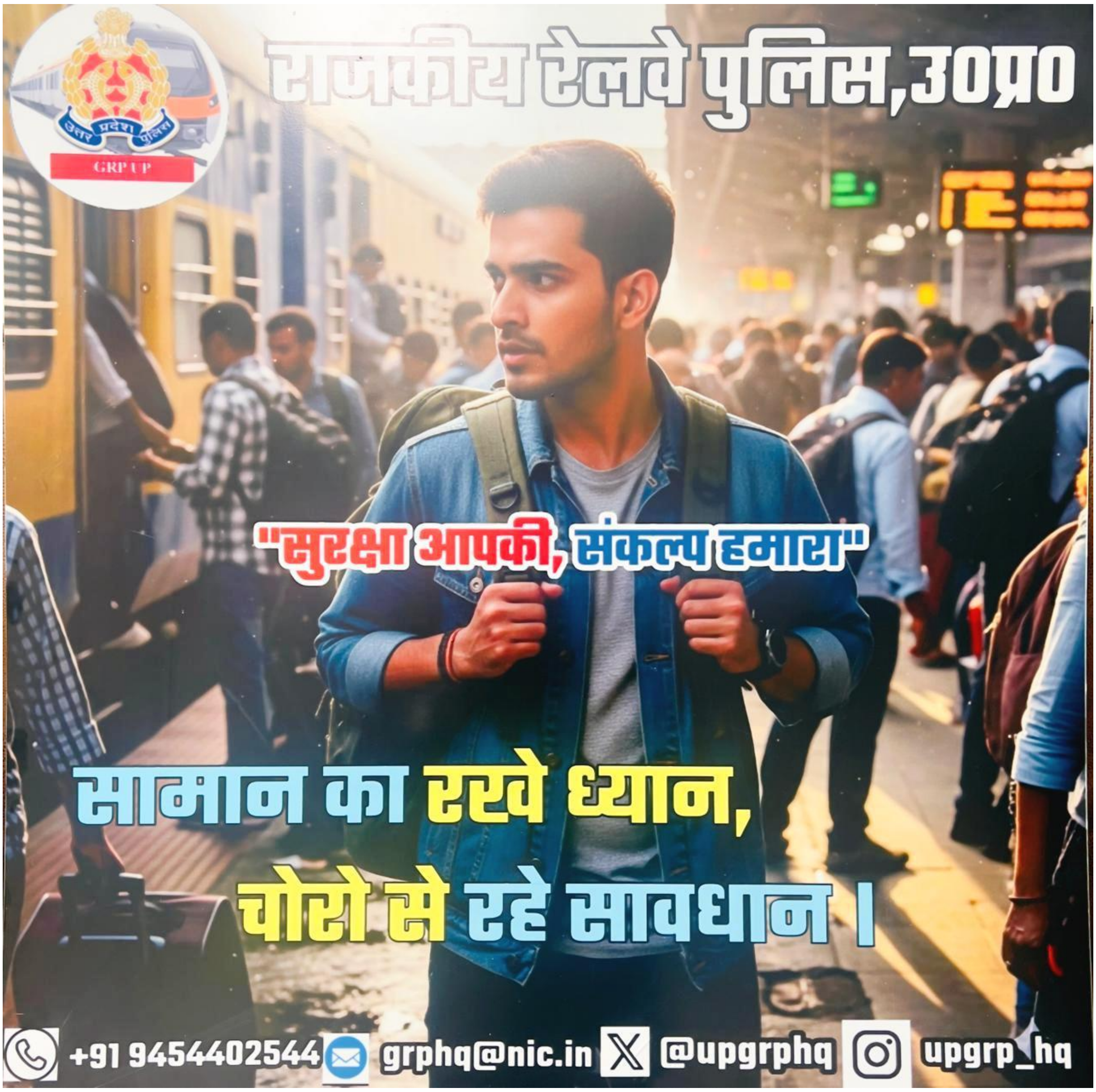
राजकीय रेलवे पुलिस,उ0प्र0
GRP UP
"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"
सामान का रखे ध्यान,
चोरो से रहे सावधान।
+91 9454402544
grphq@nic.in
@upgrphq
upgrp_hq

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
रेलपटरी की सुरक्षा में योगदान
संदिग्ध व्यक्ति की पहचान।
रेलवे पटरी पर
भारी वस्तु/क्षतिग्रस्त
होने पर
रेलवे ट्रैक पर
संदिग्ध गतिविधि/व्यक्ति
दिखने पर
फोन उठाएं 112 मिलाएं
@upgrp_grp
+91-7570000100
@112UttarPradesh
/112UttarPradesh

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
GRP UP
राजकीय रेलवे पुलिस
उत्तर प्रदेश
दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल से बात न करें।
सावधान!
मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर न सोयें।
किसी भी इमरजेंसी में
फोन उठाएं 112 मिलाएं
आपात स्थिति में कॉल करते समय ट्रेन का नाम तथा अपनी
कोच व सीट संख्या यथासंभव समस्त जानकारी अवश्य साझा करें।
@upgrp_grp +91-7570000100 @112UttarPradesh /112UttarPradesh

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
GRP UP
राजकीय रेलवे पुलिस
उत्तर प्रदेश
सावधान!
गले की चेन व पर्स का विशेष ध्यान दें।
किसी भी इमरजेंसी में
फोन उठाएं 112 मिलाएं
आपात स्थिति में कॉल करते समय ट्रेन का नाम तथा अपनी
कोच व सीट संख्या यथासंभव समस्त जानकारी अवश्य साझा करें।
@upgrp_grp +91-7570000100 @112UttarPradesh /112UttarPradesh

दिनांक 16.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद औरैया/थाना बिधूना

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **45 हजार रूपये नगद**
- **01 स्कार्पियो वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 16.09.2025 को थाना बिधूना व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त धर्मेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 45 हजार रूपये नगद, 01 स्कार्पियो वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बिधूना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिधूना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम शामपुर थाना बिधूना जनपद औरैया।

बरामदगी

1–45 हजार रूपये नगद।

2–01 स्कार्पियो वाहन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद उन्नाव/थाना गंगाघाट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 20 हजार रूपये नगद**
- **लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2025 को थाना गंगाघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर त्रिभुवनखेड़ा तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 20 हजार रूपये नगद, लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंगाघाट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी रसुलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–लूट के 03 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2–लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.09.2025 की रात्रि थाना बडौत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार अभियुक्त मोहन घायल हो गया, जिसे

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बडौत पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहन निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी

1–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना गोपीगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.09.2025 को थाना गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पड़ाव तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ओमकार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गोपीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमकार निवासी ग्राम चौरा बगैर खेत थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 16.09.2025 को थाना बुढ़ाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मंदवाडा मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त महताब उर्फ कल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया एवं दो अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.09.2025 को थाना बुढ़ाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–महताब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम मंदवाडा थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद शामली/थाना कैराना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 55 ग्राम अवैध स्मैक**
- **घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनॉकः15/16.09.2025 की रात्रि थाना कैराना व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–उस्मान 2–इंसार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 55 ग्राम अवैध स्मैक, घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उस्मान निवासी ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2–इंसार निवासी ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 55 ग्राम अवैध स्मैक।

2–घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

- **जनपद अमरोहा/थाना आदमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना आदमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बिजेन्द्र 2–नन्हुआ को कठोर आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम को आजीवन कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मटेरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मटेरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 4(1) पॉक्सो एक्ट व 66(इ) आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हलीम को 10 वर्ष के कारावास व 01 लाख 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————